UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 201 / 16 सी दिनांक 20/1/2020

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी
देहरादून

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या** FP/UK/ROAD/35879/2018 **(जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जाखणी से टेण्डवाल गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

सन्दर्भ– **आपका पत्र संख्या 1209 /** FP/UK/ROAD/35879/2018 **दिनांक 07.09.2019 ।**

महोदय,

उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य की वनभूमि पत्रावली में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्न प्रकार किया गया है–

Sr.	EDS Details	EDS Removed as follows
1	आथोरिटी लेटर में क्षेत्रफल में कटिंग कर नयी सूचना भरी गयी है। अतः बिना कटिंग का प्रमाण पत्र संलग्न करें एवं निर्गत किये जाने वाले प्रमाण पत्र में अधिकारी का नाम भी अंकित करें।	आथोरिटी लेटर में कोई कटिंग नहीं की गयी है। अधिकारी का नाम अंकित है।
2	प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में परियोजना का नाम अंकित किया जाय एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्रों में ग्राम पंचायत का नाम एवं ग्राम का नाम अंकित किया जाय।	प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में परियोजना का नाम अंकित है एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्रों में ग्राम पंचायत का नाम एवं ग्राम का नाम अंकित है।
3	आम सभा प्रमाण पत्र में भी कटिंग की गयी है, बिना कटिंग का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	आम सभा प्रमाण पत्र में बिना कटिंग का प्रमाण पत्र संलग्न हैं।
4	एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र में क्षेत्रफल में कटिंग की गयी है बिना कटिंग का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र में बिना कटिंग के क्षेत्रफल का प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	ग्राम सभा टेण्डवाल प्रमाण पत्र में दिनांक में कटिंग कर नयी दिनांक भरी गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	ग्राम सभा टेण्डवाल का बिना कटिंग का प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	डिजिटल मानचित्र में परियोजना का पूर्ण नाम अंकित करें।	डिजिटल मानचित्र में परियोजना का पूर्ण नाम अंकित है।
7	जिस मुख्य मार्ग से प्रस्तावित मार्ग निर्मित किया जाना है उस मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करें एवं तदनुसार मानचित्र /वारचार्ट में भी उसका उल्लेख करें तथा प्रस्तावित मार्ग जिस मुख्य मार्ग से जुडा है व	इस मार्ग का निर्माण मयाली जखोली राज्य मार्ग संख्या 37 के किमी0 2 से किया जाना है, जिसका निर्माण काफी वर्ष पूर्व कीर्तिनगर खण्ड द्वारा किया गया था। मानचित्र में भी उसका उल्लेख किया गया है। व कीर्तिनगर खण्ड कार्यालय वर्ष 2013 की आपदा में एक बार बह चुका है।

	मानचित्र एवं बारचार्ट में सूचना पूर्ण रूप से भरी जाय।	
8	डिजिटल एवं जियो रिफरेन्स मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण भी दर्शाया जाय।	डिजिटल एवं जियो रिफरेन्स मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण दर्शाया गया है।
9	उक्त मार्ग की पठनीय वित्तीय स्वीकृति संलग्न करें एवं उसको हाइलाईट किया जाय।	उक्त मार्ग की पठनीय वित्तीय स्वीकृति संलग्न है एवं उसको हाइलाईट किया गया है।
10	उक्त प्रमाण पत्र में प्रस्तावित मार्ग हेतु सिविल एवं नाप भूमि का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव में अन्य प्रपत्रों में वन पंचायत का उल्लेख है। सही सूचना भरी जाय।	समस्त प्रमाण पत्र में प्रस्तावित मार्ग हेतु सिविल एवं नाप भूमि का ही उल्लेख है।
11	भू वैज्ञानिक की मूल प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें।	भू वैज्ञानिक की मूल प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।
12	उत्पादित होने वाले मलवे का पूर्ण विवरण संलग्न करें एवं मलवा स्थल को डिजिटल मानचित्र में भी प्रदर्शित किया जाय।	उत्पादित होने वाले मलवे का पूर्ण विवरण संलग्न है, एवं मलवा स्थल को डिजिटल मानचित्र में भी प्रदर्शित किया गया है।
13	वृक्षों के वैज्ञानिक नाम अंकित किया जाय।	वृक्षों के वैज्ञानिक नाम अंकित हैं।
14	लैण्ड शेडयूल के अनुसार ही वृक्षों की गणना की जाय।	लैण्ड शेडयूल के अनुसार ही वृक्षों की गणना की गयी है।
15	एनपीवी आंकलन प्रमाण पत्र में घनत्व ऑन लाइन के अनुसार भरते हुए प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी की मुहर अपेक्षित है।	एनपीवी आंकलन प्रमाण पत्र में घनत्व ऑन लाइन के अनुसार ही भरा गया, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर मुहर अंकित है।
16	कार्य प्रारम्भ न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करें।	कार्य प्रारम्भ न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न है।
17	लम्बाई चौडाई प्रमाण पत्र में कुल योग का कालम बनाकर सूचना भरी जाय।	लम्बाई चौडाई प्रमाण पत्र में कुल योग का कालम बनाकर सूचना भरी गयी है।
18	बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।	उक्त परियोजना में कोई भी बांज का वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18-01-2020

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्राप्त किया

25-01-2020
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग, देहरादून।